न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–23.10.2020

मिशल संख्याः– 542/2018

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

1. रामबत्ती पत्नी मोहन कंजर निवासी पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. प्रिता पुत्री मोहन कंजर निवासी पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र रामनिवास सुनार निवासी सिरोही हाल निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।

– प्रतिपक्षीगण

–उपस्थितिः–

श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2
पेरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी ख0नं0 1800/537 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजी भूमि पर काश्त करने व आने जाने के लिए हमारे पास कोई वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ता नही है। इसलिये हम, प्रार्थीयागण की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थीयागण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1800/537 रकबा 0.91 है0 मुख्य मार्ग के मध्य अप्रार्थी नं. 1 की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 524 है व अप्रार्थी नं. 2 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 1781/524 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम सिरोही स्थित है। उक्त खसरा नं0 1781/524 रकबा 0.13 है0 पर अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त है तथा अप्रार्थी नं. 1 लेण्ड होल्डर के नाम राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 524 रकबा 0.23 है0 है जिसमे बने हुये 15 फीट, चौडे रास्ते से होकर हम प्रार्थीयागण अपनी खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु आती जाती रही है। उक्त खसरा नं. 1781/524 व 524 में हम प्रार्थीयागण को नया रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक तथा सुलभ है। क्योंकि हम प्रार्थीयागण के खेत व मुख्य मार्ग के मध्य अप्रार्थी संख्या 1

की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 524 व अप्रार्थी नम्बर 2 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1781/524 की भूमि से रास्ता दिये जाने पर सबसे कम दूरी पड़ती है। प्रार्थीयागण की खातेदारी की भूमि मे आने जाने के लिए खसरा नं. 1781/524 पर अप्रार्थी संख्या 2 की काबिज काश्त होने से आने जाने से रोकते है तथा खसरा नं. 524 की भूमि की राजस्थान सरकार के खाते दर्ज होने व अप्रार्थी नम्बर 1 लेंण्ड होल्डर होने से रास्ते के लिए उपयोग उपभोग मे लेने से रोकते है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक कुमार शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया । जवाब इस प्रकार है :– प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीयागण के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 523 मे होकर है जिस पर होकर प्रार्थीयागण अपने खेतो मे आती जाती है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 मे प्रार्थीयागण की खातेदारी की भूमि होना व खसरा नं. 524 राजकीय भूमि होना व खसरा नं. 1781/524 प्रतिपक्षी संख्या 2 की होना व कब्जा काश्त होना स्वीकार है शेष इबारत जिस तरह से वर्णित की गई है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीयागण कभी भी खसरा नं. 524 मे होकर प्रतिपक्षी की भूमि मे होकर अपने खेत खसरा नं. 1800/537 मे नही गयी है और ना ही वहां पर किसी प्रकार का 15 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीयागण हमेशा से ही खसरा नम्बर 523 मे होकर अपने खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1800/537 मे आती जाती रही है और आज भी खसरा नं. 523 मे होकर ही आ जा रही है तथा खसरा नं. 523 प्रार्थीयागण के खेत के काफी नजदीक एवं सीध मे पड़ता है एवं प्रतिपक्षी नं. 2 के खेत का रकबा काफी कम है। ऐसी स्थिति मे प्रतिपक्षी संख्या 2 के खेत से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीयागण के पास वैकल्पिक रास्ता पूर्व मे ही मौजूद है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीयागण कभी भी प्रतिपक्षी संख्या 2 के खेत मे से होकर अपनी भूमि मे नही गयी है जिससे रास्ता रोकने वाली बात सरासर गलत है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीयागण के पास पहले से ही अपने खेत मे आने जाने का वेकल्पिक रास्ता खसरा नं. 523 मे उपलब्ध है जिसमे से होकर प्रार्थीयागण हमेश से ही अपने खेत मे आती जाती रही है। प्रार्थीयागण हमेशा से ही अपने खेत मे आती जाती रही है। प्रार्थीयागण हमेशा से ही अपने खेत मे आती जाती रही है। प्रार्थीयागण की उक्त कृषि भूमि मे आने

जाने के लिये खसरा नं. 523 की दक्षिण दिशा की तरफ रास्ता बना हुआ है जिससे से होकर भी प्रार्थीयागण के खेतो मे आ जा रही है। प्रतिपक्षी की भूमि की तरफ से प्रार्थीयागण के खेतो मे आने का कोई कदीमी रास्ता बना हुआ नही है और ना ही कभी प्रतिपक्षी के खेत मे से होकर प्रार्थीयागण अपनी कृषि भूमि पर गयी है। प्रार्थीयागण ने प्रतिपक्षी से रास्ते देने व रास्ता रोकने वाली बात नही की है। प्रार्थीयागण ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी को हेरान परेशान करने के उद्वेश्य से पेश किया है। प्रार्थीयागण पत्र का चरण नं. 6 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीयागण के पास पहले से ही अपने खेत मे आने जाने का वेकल्पिक रास्ता खसरा नं. 523 मे उपलब्ध है जिसमे से होकर प्रार्थीयागण हमेशा से ही अपने खेत मे आती जाती रही है। प्रार्थीयागण की उक्त कृषि भूमि मे आने जाने के लिये खसरा नं. 523 की दक्षिण दिशा की तरफ रास्ता बना हुआ है जिसमे से होकर भी प्रार्थीगण अपने खेतो मे आ जा रही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। **अतिरिक्त कथनः–** प्रार्थीयागण हमेशा से ही ख. नं. 523 में होकर अपने खातेदारी की भूमि ख. नं. 1800/537 मे आती जाती रही है और आज भी खसरा नम्बर 523 मे होकर ही आ जा रही है तथा खसरा नम्बर 523 प्रार्थीयागण के खेत के काफी नजदीक एवं सीध मे पड़ता है। प्रतिपक्षी नम्बर 2 का खेत प्रार्थीयागण के खेत से तिरछा पड़ता है एवं प्रतिपक्षी नम्बर 2 के खेत से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीयागण के पास वैकल्पिक रास्ता पूर्व मे ही मौजूद है। प्रार्थीयागण के खेत खसरा नम्बर 1800/537 के समीप ही राजकीय भूमी खसरा नम्बर 536,535/1687 स्थित है एवं प्रार्थीया संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 535 स्थित है। प्रार्थीयागण राजकीय भूमी खसरा नम्बर 536 एवं खसरा नम्बर 535/1687 को हड़पने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि प्रतिपक्ष संख्या 2 की भूमी खसरा नम्बर 1781/524 के ठीक पीछे राजकीय भूमि खसरा नम्बर 536 पड़ती है। उक्त दोनो सिवायचक खसरा नम्बरो मे होकर ही प्रार्थीया संख्या 2 अपने खेत खसरा नम्बर 535 मे भी आती जाती है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी को हेरान व परेशान करने एवं राजकीय भूमी को हड़पने के उद्वेश्य से पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खरिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब/ रिपोर्ट इस प्रकार हैः–प्रार्थिया की आराजी पर पहुचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अतः खसरा

नम्बर 1781/524 रकबा 0.13 है0 खातेदारी भूमि से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थिया की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 100+96/2 = 98 मी. चोडाई 15 फीट अर्थात 4.5718 मीटर कुल क्षैत्रफल 448 वर्ग मी. पूर्णाक 5 एयर भूमि ख. न. 1781/524 रकबा 0.13 है. में से गै.मु.रास्ता चाहा गया है। किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुचने हेतु सिवायचक काबिल काश्त भूमि ख.न. 536 रकबा 0.23 है. बारानी 1 मे से 15X 15 फीट स्क्वायर अर्थात 4.5718 X 4.5718 = 20. 9014 वर्ग पूर्णाक मे एक एयर इसी प्रकार ख.न. 524 रकबा 0.10 है. सिवायचक भूमि मे से लम्बाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 4.5718 मीटर कुल क्षैत्रफल 54.8616 वर्ग मीटर पूर्णाक एक एयर भूमि रास्ते हेतु दी जानी है। रास्ता चाहे जाने वाल ख.न. 1781/524 मे से 5 एयर भूमि की डी.एल.सी. दर 44937.39 रूपये प्रति एयर के हिसाब से 224671.95 रूपये है तथा ख.न. 524 रकबा 0.10 में से 0.01 है0 536 रकबा 0.23 है. मे से 0.01 है कुल 0.02 है. सिवायचक की कीमत 44934.39 रूपये प्रति एयर के हिसाब 89868.78 रूपये बनते है। नियमानुसार दुगुनी राशि है। आवेदिका की आराजी न. 1800/537 रकबा 0.91 है. में आवेदिका 1/2 हिस्सा खातेदारी हक मे दर्ज है। प्रार्थिया ख.न. 1781/524 रकबा 0.13 है. मे से रास्ता चाहती है। किन्तु N H 12 से पूर्व पहुंच बाबत सिवायचक ख. न. 524 रकबा 0.10 है0 ख. नं. 356 रकबा 0.23 है. मे से भी रास्ता चाहा गया है। चाहे गये रास्ते को नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही डोस्ट से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरंचना जैसे पेड़, दीवार आदि नहीं है। यह रास्ता प्रतिबंधित श्रेणी में नही है। गैर मुमकिन सिवायचक भूमि मे होकर रास्ता चाहा गया है प्रार्थीगण ओमप्रकाश पुत्र रामनिवास जाति–सुनार सा. देह हाल निवासी ग्राम दूनी है वह व्यक्ति सहमत है। अथवा नहीं यह जानकारी ग्राम सिरोही मे नहीं हो पाई है। अतः ग्राम दूनी तहसील दूनी मे नोटिस भेजकर सहमति जानी जा सकती है। मौका रिपोर्ट के साथ मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट में भी रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई गई है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे। इसके लिए प्रार्थीयागण नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीयागण ने केवल हैरान व परेशान करने के मकसद से प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है और तहसीलदार की रिपोर्ट मौके अनुसार सही नहीं है, पूर्वाग्रह से संचित है।

पत्रावली को आद्यापान्त अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीयागण अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 1800/537 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम सिरोही तहसील देवली में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु राजकीय भूमि ख. नं. 524 व अप्रार्थी नं. 2 की भूमि 1781/524 रकबा 0.13 है0 में से रास्ता चाहती है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में ख. नं. 536 रकबा 0.23 है0 में भी रास्ता प्रस्तावित किया है। नक्शा ट्रेस का गहनता से अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रार्थीयागण का खातेदारी ख. नं. 1800/537 ख. नं. 523 से ज्यादा नजदीक है और अप्रार्थी अधिवक्ता ने भी अपने जवाब व बहस में यह कथन किया है कि प्रार्थीयागण पूर्व से ही ख. नं. 523 से आती जाती रही है और ख. नं. 523 से रास्ता प्रस्तावित करने पर तीन–तीन खसरा नम्बरो से रास्ता लेने की आवश्यकता ही नही है। तहसीलदार रिपोर्ट में ख. नं. 536 से भी रास्ता प्रस्तावित किया है जबकि ख. न. 536 के पूर्व ही प्रार्थीयागण के खेत की मेड़ पर पहुंच जाता है। रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार की रिपोर्ट भी धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 251 ए व तहसीलदार की रिपोर्ट धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली